

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/1024

दिनांक 29/04/2022

अनवान :-

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण  
बांका के का.मु. वगैरा बनाम चिमाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 67/2018

दिनांक : 29.04.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी के मौजा भीलों का तला के खेत खसरा सं. 1023 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 1024 रकबा 88.04 बीघा एवं मौजा नेहरों की नाडी के खसरा सं. 695 रकबा 84.02 बीघा, खसरा सं. 1022 रकबा 03.01 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/1025 to 1028  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण बांका वगैरा
3. विप्रार्थीगण चिमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
दिनांक चौहटन  
29/04/2022

(भागीरथ राम II)  
उपखण्ड अधिकारी -  
चौहटन  
चौहटन